(नियम 26)

अज अदालत .... अति० जिला कलक्टर .... मुकाम .... नीमकाथाना ....

.... सरकार .... बनाम .... सुन्दर स्वामी ....

किस्म मुकदमा .... F.S.S .... नम्बर .... 69 .... वर्ष .... 21 ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25/11/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण श्री सुन्दर स्वामी पुत्र जगरामदास स्वामी (मालिक) निवासी– वार्ड नं. 20 टोडाभीम जिला करोली व श्री प्रकाशदास स्वामी पुत्र श्री जगराम दास स्वामी(विक्रेता), मैसर्स– पी.एस. ट्रेडिंग कम्पनी महरोली तहसील श्रीमाधोपुर सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 14.10.2019 को समय 11:15 ए.एम. पर श्रीमाधोपुर सीकर में निरक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स पी.एस. ट्रेड़िंग कम्पनी, में अप्रार्थी सुन्द्रर स्वामी खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर विक्रय करने हेतु तैयार कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनके नाम व पता पूछा, तो विक्रेता अपना परिचय बताया। सुन्दर स्वामी से वर्ष 2017 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञापत्र चाहा तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेन्स वर्ष 2017 होना बताया। फर्म पर विक्रेता द्वारा मिर्च पाउडर का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध 40 किलोग्राम मिर्च पाउडर के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच मिर्च पाउडर 2 किलोग्राम कम्पनी पैक. में खरीदा खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 220रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–1002 खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा [illegible] उल्लंघन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थीगण को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। हस्ताक्षर/- अतिरिक्त जिला [illegible] एवं अति. जिला [illegible] नीमकाथाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:00:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को 50,000 रू के जूर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:00:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner